

कार्यालय :- वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम।

वन भवन, सासाराम - 821115

पत्रांक-3390/विधि

प्रेषक,

मनीष कुमार वर्मा, भा०व०से०,
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम।

सेवा में,

वन संरक्षक,
वन्यप्राणी अंचल, पटना।



विषय :-

श्री विकल्प द्वारा रोहतास जिलान्तर्गत सबदला मौजा के खाता संख्या-115, प्लॉट संख्या-208, थाना-नासरीगंज, पो0-नासरीगंज में SH-15 देहरी-नासरीगंज पथ के किनारे Reliance Jio bp Mobility Ltd. का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.0195 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।

प्रसंग :-

उप वन संरक्षक, कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना का कार्यालय पत्र संख्या-FC/148/2021-963, दिनांक-08.11.2022.

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि उप वन संरक्षक, कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना का कार्यालय पत्र संख्या-FC/148/2021-963 दिनांक-08.11.2022 के आलोक में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, डिहरी वन प्रक्षेत्र से इस कार्यालय के पत्रांक-3293, दिनांक-08.11.2022 द्वारा उक्त परियोजना के कार्य को रूकवाने एवं FCA Violation किये जाने के आरोप में जाँचोपरांत अनुशंसा प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया था। जिसके आलोक में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, डिहरी वन प्रक्षेत्र ने जाँचोपरांत प्रयोक्ता ऐजेन्सी के कार्य पर रोक लगा दी गई है तथा प्रयोक्ता ऐजेन्सी के उपर भारतीय वन अधिनियम, 1927 (बिहार संशोधन, 1989) की धारा-33 के उल्लंघन के आरोप में वन-वाद संख्या-20एफ0/2022 दर्ज किया गया है (छायाप्रति संलग्न)। साथ ही प्रयोक्ता ऐजेन्सी के उपर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-02 के उल्लंघन की अनुशंसा की गई है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उप वन संरक्षक, कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना का कार्यालय पत्र संख्या-FC/148/2021-963 दिनांक-08.11.2022 एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, डिहरी वन प्रक्षेत्र के द्वारा FCA Violation की अनुशंसा के आलोक में प्रयोक्ता ऐजेन्सी पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत FCA Violation के संबंध में अपने स्तर से आवश्यक अग्रतर कारवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम।



पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

बिहार सरकार

कार्यालय, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी

डिहरी वन प्रक्षेत्र, डिहरी (रोहतास)

पत्रांक 452 दिनांक 11-11-2022

सेवा में,

अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय,
डिहरी, रोहतास।

विषय:- अपराध प्रतिवेदन संख्या 3251 दिनांक 10.11.2022 के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम के पत्रांक 3293 दिनांक 08.11.2022 के आलोक में वनरक्षी श्री हरेन्द्र कुमार के साथ दिनांक 10.11.2022 लगभग अपराह्न 3:30 बजे मौजा सबदला गया। वहां खाता सं 0 115 प्लॉट सं 208 थाना नासरीगंज में SH 15 डिहरी-नासरीगंज पथ एवं पथ से लगे नहर के किनारे प्रयोक्ता एजेन्सी श्री विकल्प द्वारा मे 0 मधुपर्क फीलिंग स्टेशन Reliance Jio bp Mobility Ltd. का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु एप्रोच पथ का निर्माण कराया गया है। यह कार्य प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा बिना भारत सरकार के स्वीकृति एवं सैद्धान्तिक अनुमति stage 1 के सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचित स्थल पर पहुंच पथ का निर्माण कराया गया है। जो भारतीय वन अधिनियम 1927 बिहार संशोधन 1989 की धारा 33 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 का उल्लंघन है। स्थल पर उपस्थित वनरक्षी श्री हरेन्द्र कुमार के द्वारा अपराध प्रतिवेदन सं 0 3251 समर्पित किया गया है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उपरोक्त प्रयोक्ता एजेन्सी के उपर आवश्यक कानूनी कारवाई करने की कृपा की जाये। घटना से संबंधित विस्तृत जांच प्रतिवेदन श्रीमान् की सेवा में उचित माध्यम से समर्पित किया जायेगा।

विश्वासभाजन

1 अपराध रिपोर्ट सं 0 3251 मूल रूप

कार्यालय वनों के क्षेत्र पदाधिकारी

डिहरी वन प्रक्षेत्र

पत्रांक 453/दिनांक 11-11-22

प्रभारी वनों के क्षेत्र पदाधिकारी

डिहरी वन प्रक्षेत्र डिहरी

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम की सूचनाओं एवं आवश्यक
कारवाई हेतु सादर समर्पित।

विश्वास भाजन

11/11/2022

11/11/2022

14/11/22

11.11.22

अनुसूची 18-फारम सं0 21 क

वन विभाग, बिहार

क्रं. 3251

राहत आश्वासन प्रमण्डल
सारनाराम

टिप्पणी :- यह रिपोर्ट पता लगने के 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

अपराध रिपोर्ट सं0 3251

तारीख 10-11-2022

- घटना स्थल - डिहरी नासिगीगंज मुख्य पथ में ग्राम-सबदला के समीप /
- पता लगने की तारीख और समय - 10-11-2022 समय - 03:30 PM
- अपराधी का नाम, उसके पिता का नाम और निवास - नहीं मालुम, विकल्प पन्प प्रशोक
एजे-शी श्री में मधुपर्क फीलिंग स्टेशन रिलायंस जियो
गौलीलीवी लिमिटेड
- जब्त सम्पत्ति, यदि हो - X
- जब्त सम्पत्ति की अभिरक्षा - X
- साक्षी का नाम, उसके पिता का नाम और निवास, यदि हो - श्री धरुण चौधरी (मुंशी) रशाधी
वनागार डिहरी
- अपराध का स्वरूप और तथ्य विवरण - बिना पूर्व अनुमती के पहुँच पथ का निर्माण

1258

सेवा में

प्रभारी वनो के क्षेत्र पदाधिकारी, डिहरी

गहाणग

साहस सुचित करना है, श्री श्री मान के साथ दिनांक 10-11-2022 का लगभग 08:30 PM में डिहरी-नारसीगंज पथ में गंगा / ग्राम-सखदला गाँव के समीप डिहरी-नारसीगंज 514-15 में ओए तरफ एक एक नहर किनारे एक पत्रालय पथ स्थापित किया गया है, पथ स्थापना हेतु पट्टे का पथ के रूप में आगमन एवं निर्गम वाले स्थान पर सिद्धी डालकर खाता बनाया गया है।


यह पथ प्रयोगता एंजिनी श्री विकल्प हटाग मे० महापुके मिलिंग स्वेडन Reliance 700 mobility Ltd हटाग स्थापित किया गया है, जांच के समय उग्र बंद था।

अधिसूचित वन भूमि में बिना पूर्व अनुमति के अप्रोच पथ का निर्माण भारतीय वन अधिनियम 1927 (विहार संशोधन 1989) की धारा-33 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 का उल्लंघन है।

अतः प्रयोगता एंजिनी पर उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा की जाए।

आपका विश्वासी

Harendra Kumar (F.O)
10-11-2022



Latitude: 25.030034
Longitude: 84.298233
Elevation: 182.55±54 m
Accuracy: 7.6 m
Time: 10-11-2022 15:37
Note: Sabadala
Dehri

PHOTOGRAPH BY NATURE

22/11/22

कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रोहतास वन प्रमण्डल, सासाराम।

वन भवन, सासाराम-821115

पत्रांक- 3423...

प्रेषक,

मनीष कुमार वर्मा, भा0व0से0,
वन प्रमण्डल पदाधिकारी
रोहतास वन प्रमण्डल, सासाराम।

1176
29/11/2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
कन्याप्राणी अंचल, पटना।

दिनांक- 19.../11/2022

विषय :- श्री विकल्प द्वारा रोहतास जिलान्तर्गत सबदला मौजा के खाता संख्या-115, प्लॉट संख्या-208, थाना-नासरीगंज, पो0-नासरीगंज में SH-15 देहरी-नासरीगंज पथ के किनारे Reliance Jio bp Mobility Ltd. का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के संबंध में Complete action taking report के संबंध में।

21/11

प्रसंग :- सहायक वन महानिरीक्षक, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, राँची (झारखण्ड) का कार्यालय पत्र संख्या-एफपी/वीआर/एप्रोच/149796/21, दिनांक-21.09.2022 एवं उप वन संरक्षक, कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना का कार्यालय पत्र संख्या-FC/148/2021-963, दिनांक-08.11.2022।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि उप वन संरक्षक कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना का कार्यालय पत्र संख्या-FC/148/2021-963, दिनांक-08.11.2022 के साथ संलग्न पत्र संख्या-एफपी/वीआर/एप्रोच/149796/21, दिनांक-21.09.2022 में उक्त परियोजना के प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा Stage-1 स्वीकृति प्राप्त होने के पूर्व ही FCA Violation किये जाने की सूचना एवं Complete action taking report की मांग की गई है जो निम्नवत है :-

- (1) अधोहस्ताक्षरी द्वारा Part-II भरने की प्रक्रिया के तहत दिनांक-25.02.2021 को किये गये स्थलीय निरीक्षण में प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा किसी भी प्रकार का FCA Violation नहीं किया गया था।
- (2) अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-3171, दिनांक-25.10.2022 के द्वारा वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, डिहरी वन प्रभेज से FCA Violation की संकल्पना हेतु स्थल जाँच एवं कड़ी कार्यवाही के संबंध में गियमानुसार निर्देश देते हुये प्रतिक्रिया की मांग गई थी।
- (3) वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, डिहरी वन प्रभेज ने अपने कार्यालय पत्रांक-432, दिनांक-05.11.2022 के द्वारा संसूचित किया गया है कि उनके द्वारा मासिक रूप से प्रयोक्ता एजेन्सी

- को Stage-I स्वीकृति प्राप्त होने के पूर्व विषयवस्तु स्थल के पहुँच पथ पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करने हेतु निर्देशित किया गया है।
- (4) दिनांक-04.11.2022 को वनों के क्षेत्र पदाधिकारी एवं संबंधित वनरक्षी द्वारा प्रयोक्ता ऐजेन्सी को किसी भी प्रकार का FCA Violation नहीं किये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया।
 - (5) दिनांक-25.10.2022 को पूर्ण में पदस्थापित अनुभवी वनरक्षियों को प्रशिक्षण में जाने की स्थिति में नव-नियुक्त वनरक्षियों को उनका प्रभार सौंपा गया।
 - (6) रोहतास वन प्रमंडल में अत्याधिक दिनांक-25.10.2022 से क्षेत्रीय कर्मियों की संख्या में कमी होने के कारण नव-नियुक्त वनरक्षी के पारा एक से अधिक उप-परिसर का प्रभार होने एवं उनके पदस्थापन क्षेत्र का क्षेत्रफल अधिक होने एवं अनुभव की कमी होने के उपरान्त भी संबंधित वनरक्षी एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा प्रयोक्ता ऐजेन्सी को कार्य करने से रोका गया है।
 - (7) प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा चोरी-छिपे रात में किसी तरह से पहुँच पथ पर कार्य किया गया है।
 - (8) उप वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विहार, पटना का कार्यालय पत्र संख्या-FC/148/2021-963, दिनांक-08.11.2022 अघोहस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक-08.11.2022 को प्राप्त हुआ। जिसके उपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक-3293, दिनांक-08.11.2022 के द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत FCA Violation किये जाने के संबंध में अनुशंसा प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, डिहरी वन प्रक्षेत्र को निर्देशित किया गया।
 - (9) इस कार्यालय के पत्रांक-3293, दिनांक-08.11.2022 के आलोक में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी डिहरी वन प्रक्षेत्र ने प्रयोक्ता ऐजेन्सी के उपर भारतीय वन अधिनियम, 1927 (बिहार संशोधन, 1989) की धारा-33 के उल्लंघन के आरोप में वन-वाद संख्या-20एफ0/2022 दर्ज (छायाप्रति संलग्न) करते हुये अपने कार्यालय पत्रांक-453, दिनांक-11.11.2022 के माध्यम से इस कार्यालय को सूचित किया गया है। साथ ही प्रयोक्ता ऐजेन्सी के उपर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-02 के उल्लंघन की अनुशंसा की गई है।
 - (10) चूंकि प्रयोक्ता ऐजेन्सी के उपर भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन, 1989) की धारा-33 के उल्लंघन का आरोप लगा है जो Non-compundable अपराध है। उक्त वन-वाद संख्या-20एफ0/2022 अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी, डिहरी (रोहतास) के न्यायालय में लंबित है।
 - (11) वन प्रमंडल पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक-3419, दिनांक-17.11.2022 द्वारा वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, डिहरी वन प्रक्षेत्र को अविलम्ब पूर्ण जाँच अभियोजन प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
 - (12) वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, डिहरी वन प्रक्षेत्र द्वारा स्थल जाँचोपरान्त पाया गया कि संबंधित रिटेल आउटलेट कैमूर वन्यप्राणी आश्रयणी के Eco Sensitive Zone से लगभग 25 कि०मी० दूरी पर अवस्थित है। साथ ही प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा Stage-I स्वीकृति प्राप्त होने के पूर्व विषयवस्तु स्थल पर रात के समय चोरी-छिपे पथ पर मात्र मिट्टी गिरा कर कार्य प्रारंभ

किया गया। पहचान पथ पर किसी भी प्रकार के वृक्षों का पातन नहीं किया। साथ ही प्रयोगका ऐजन्सी द्वारा किसी भी प्रकार से वनस्पतिजात (Flora) एवं वन्य प्राणिजात (Fauna) को क्षति नहीं पहुंचाई गई है। उक्त विन्दुओं के अवलोकन करने के उपरान्त नियमानुसार प्रयोगका ऐजन्सी के तमपर 5 Times NPV के मूल्य को Penal NPV लगाने की अनुशंसा करते हुये Stage-I रवीकृति दिया जा सकता है।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वारामभाजन

80/-

वन प्रमण्डल पदाधिकारी

रोहतास वन प्रमण्डल, सासाराम।

संख्यांक 3429 / दिनांक 19/11/2022

प्रतिलिपि - अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-नोडल पदाधिकारी (एफ.सी.), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoPF), बिहार, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
रोहतास वन प्रमण्डल, सासाराम।